P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-12* (Part-2) March- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत में भ्रष्टाचार : कारण और निवारण

मीता सिंह
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
एस. डी. एम. कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
देशलपुर, बहादुरगढ़,
हरियाणा, भारत

सारांश

यह एक जाना माना तथ्य है कि भ्रष्टाचार सत्तासीन लोगों को ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों तक को नैतिक रूप से पतित करने वाला एक खतरनाक तन्तु है वस्तुतः यह सत्तासीन लोगों एवं सरकारी कर्मचारियों की कार्यकुशलता को बुरी तरह से क्षीण बना देता है, ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचारी लोग सत्ता में बैठे हुए अधिकारियों की मुट्ठी गरम करते रहते है तथा कानून और न्याय को अनदेखा कर अपने स्वार्थों की साधना में इस हद तक गिर जाते हैं कि समाज में नैतिक मूल्य शनैः शनैः समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं

भ्रष्टचार से उत्पन्न अक्षमता और नैतिक पतन मिलकर सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रगति को अवरूद्ध कर उसकी प्रतिष्ठा पर भी एक प्रश्नचिह्न लगा देते हैं चाहे विकास की योजनाएं कितनी ही सुविचारित क्यों न हों, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने वाला भ्रष्ट एवं निकम्मा प्रशासन तंत्र योजनाओं की आधारभूत विचारणा एवं कार्यकाल को भी निष्फल कर देता है। यह एक सिद्ध तथ्य है कि यदि उपकरण तथा साधन दोषपूर्ण होंगे तो साध्य स्वतः ही अपवित्र एवं नकारा बन जाएंगे।

समाज में सीमा से अधिक फैला हुआ भ्रष्टाचार सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ को ही तोड़ देता है। इस प्रकार की भ्रष्टाचारी स्थितियाँ देश की संस्थाओं में नागरिकों के विश्वास को हिला देती हैं। व्यापक रूप से फैली भ्रष्ट प्रवृतियों के कारण हताशा और खुदगर्जी को बढ़ावा मिलता है जिसके कारण अनेक प्रकार की दुष्प्रवृतियों का जन्म समाज में होता है। सर्वग्राही मानवीय मूल्यों तथा ईमानदारी, निष्ठा और सार्वजनिक क्षेत्र में सदाचार इस हद तक क्षीण हो जाता है कि उनका नाम तक कोई लेना नही चाहता, इस तरह भ्रष्टाचार समाज का पतन तथा नैतिक गिरावट को जन्म देने वाली एक ऐसी बुराई है, जिसका सभी स्तरों पर ड़टकर मुकाबला किया जाना चाहिए। सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की नाजायज संतान को पालने–पोसने के लिए सभी बराबर के जिम्मेदार हैं। इसलिए सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित लोगों को ईमानदारी से इसको हटाने के प्रयास करने चाहिए तभी भ्रष्टाचार कम हो सकता है।

मुख्य शब्द : भ्रष्टाचार, कार्यकुशलता, प्रशासन, राजनीति, नौकरशाही, रिश्वत, सिटीजन चार्टर, लालफीताशाही।

प्रस्तावना

सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार सामाजिक विघटन की एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो सम्पूर्ण जीवन के व्यवहार प्रतिमानों में उत्पन्न होने वाली विसंगति को व्यक्त करती है यह एक ऐसी समस्या है जिसका प्रभाव आज समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जा रहा है। इस समस्या का सम्बन्ध वर्तमान युग में विकसित होने वाले चरित्र के उस संकट से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों की अवहेलना करके अपने पद का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरूपयोग कर रहा है तथा इससे उत्पन्न विघटन के प्रति दूसरे व्यक्तियों को उत्तरदायी मानता है। भ्रष्टाचार आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान है इसकी अभिव्यक्ति विभिन्न रूपों में देखी जा सकती है तथा विशेषीकरण में वृद्धि होने के साथ ही भ्रष्टाचार में प्रवीणता प्राप्त करना भी वैयक्तिक कुशलता के एक विशेष गुण के रूप में देखा जाने लगा है यही वह संकट है जिसके कारण सामाजिक पुनर्निर्माण के सभी प्रयत्न बेमानी बन गए है। भ्रष्टाचार को जीवन की एक सामान्य विधि के रूप में देखा जाने लगा है राजनीतिज्ञ और प्रशासक भी समस्या के समाधान में स्वयं को आज असहाय महसूस कर रहे है।

कोई भी समाज आज तक भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो पाया है यह ध्रुव सत्य है कि हर समाज में किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार विद्यमान रहता है सिर्फ कानूनी एवं जनसंवाद की स्थितियों को छोड़कर विकासशील समाज में

भ्रष्टाचार कोई बड़ा आक्रोश पैदा नहीं करता, क्योंकि जनता के अधिकांश लोग इसके आदी होते हैं तथा इसे असाध्य बीमारी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। भारत में भ्रष्टाचार न सिर्फ बड़े पैमाने पर व्याप्त है, बल्कि वह सुव्यवस्थित, प्रणालीबद्ध नियोजित एवं स्वैच्छिक बनकर रिश्वतखोरों एवं रिश्वत देने वाले दोनों ही पक्षों को फायदा पहुँचाने वाली व्यवस्था का रूप ग्रहण कर चुका है यह ऊँचें स्तरों से शुरू होकर नीचे से नीचे के स्तर तक चला गया है आज भ्रष्टाचार छोटी–मोटी मात्रा में नहीं, बल्कि व्यापक स्तर पर गिनाये जा सकने वाली स्थिति में पहुँच चुका है नित नई शक्लों एवं रूपों में भेष बदला हुआ भ्रष्टाचार अब पैसों से हटकर वस्तुओं तथा सौदों, वायदों और दलाली जैसी जटिल व्यवस्थाओं में फैल और पसर गया है। इस भ्रष्टाचार में राजनीतिक दल, सत्तासीन नेतृत्व, जन प्रतिनिधि, नौकरशाह तथा प्रजा जन सभी फँसे नजर आते है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र में शोधकर्त्ता ने अध्ययन के निम्न उद्देश्य बताये है –

1. लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में जागरूक करना।
2. भ्रष्टाचार निवारण हेतु सरकारी स्तर पर किये जा रहे प्रयासों का अध्ययन करना।
3. भ्रष्टाचार से देश के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में होने वाले नुकसान का अध्ययन करना।
4. भ्रष्टाचार के बदलते रूपों पर प्रकाश डालना।
5. भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए गैर – सरकारी स्तर पर किये जा रहे प्रयासों का अध्ययन करना।
6. भ्रष्टाचार निवारण हेतु गठित लोकपाल एवं लोकायुक्त नामक संस्थाओं के बारे में जनता को जागरूक करना।
7. लोकपाल एवं लोकायुक्त तथा केन्द्रीय सर्तकता आयोग के कार्यो की समीक्षा करना।
8. भ्रष्टाचार के कारणों का अध्ययन करना।
9. भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों का अध्ययन करना।
10. भ्रष्टाचार निवारण हेतु उचित सुझाव देना।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोध में शोधकर्त्ता द्वारा शोध सामग्री एकत्रित करने हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़े विधि को अपनाया गया है क्योंकि प्रस्तुत शोध विषय सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्राथमिक आंकड़ों के अन्तर्गत शोधकर्ता द्वारा विभिन्न प्रशासनिक विभागों एवं कार्यालयों से प्रश्नावली, साक्षात्कार एवं अनुसूची के माध्यम से सम्बन्धित विषय की जानकारी जुटाई गई है। द्वितीयक आकड़ा विधि के अन्तर्गत सम्बन्धित विषय पर विद्वान लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों, विभिन्न आयोगों के प्रतिवेदनों तथा सरकारी रिपोर्टस को आधार बनाकर अध्ययन किया गया है।

साहित्यावलोकन

एन. भास्कर राव द्वारा लिखित रचना 'सुशासनः भ्रष्टाचार मुक्त लोक सेवाओं का प्रदाता' (2016) में लेखक ने लिखा है कि भ्रष्टाचार भारत देश में सर्वत्र घुसपैठ करने वाली और एक दीर्घकालिक समस्या रही है। इससे निपटने के लिए हम विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों एवं समाधानों का परीक्षण करते रहे है। लेकिन इसके लिए कोई त्वरित उपाय उपलब्ध नहीं हो सका है।

किरण बेदी ने अपनी रचना 'भ्रष्टाचार भारत छोड़ो' (2018) में लिखा है कि भ्रष्टाचार भारत की शासन प्रणाली में इस हद तक समाया हुआ है कि आम आदमी का प्रत्येक प्रशासनिक कार्य से विश्वास उठ चुका है। व्यापक तौर पर फैल चुकी इस भ्रष्टाचार रूपी बीमारी का इलाज केवल सम्पूर्ण तौर पर इस देश की राजनीति, जाँच एवं न्यायिक प्रणाली की कायापलट के द्वारा ही किया जा सकता है। यदि भ्रष्ट लोग अपने स्वार्थ के लिए एकजुट हो सकते है तो हम, जो उनके सताये हुए है, भ्रष्टाचार के इस सूर्य को अस्त करने के लिए एकजुट क्यों नहीं हो सकते इसलिए, बदलाव लाएं।

अरविंद वर्मा एवं रमेश शर्मा द्वारा लिखित रचना 'कॉम्बेटिंग करेप्शन इन इण्डिया' (2019) में लिखा है कि भारत में लगातार बढ़ रहा भ्रष्टाचार, एक कठिन समस्या का रूप ले चुका है। पुलिस पर राजनीतिक दबाव बना रहता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कोई सार्थक उपाय नहीं सूझ रहा है। यह पुस्तक भ्रष्टाचार के कारणों, निवारणों के उपायों पर एक सार्थक प्रयास प्रस्तुत करने का प्रयास करती है तथा भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के लिए नागरिक समाज को प्रेरित करती है।

सदाचारी सिंह तोमर द्वारा लिखित रचना 'भ्रष्टाचार का बोलबाला'(2016) में लिखा है कि आज पूरा विश्व भ्रष्टाचार से पीड़ित है। भारत देश में गत दशक में इस सामाजिक कुरीति ने विकराल रूप ले लिया है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त योजनाओं के साथ–साथ विश्व बैंक से मदद या ऋण मिलने पर उसके खर्च में भी भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, जिससे बड़े पैमाने में देश का विकास प्रभावित हुआ है। यह भ्रष्टाचार तो सर्वविदित है किन्तु इसके पनपने की आंतरिक व्यवस्था कैसे चलती है ओर भ्रष्टाचारी कैसे दंड से बच निकलते है, उसकी गहराई क्या है, इसे इसके भुक्तभोगी, जो इसे रोकने का प्रयत्न करता है और किसी तरह जिंदा भी बच जाता है, वही बता पाता है। पुस्तक के लेखक डॉ. सदाचारी सिंह तोमर ने इसी भोगे हुए दर्द का यर्थाथ विवरण प्रस्तुत पुस्तक में दिया है।

भ्रष्टाचार का अर्थ

भ्रष्ट आचरण ही भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार में व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए प्रशासनिक, सामाजिक–नैतिक या वैधानिक मानदंडों का उल्लघंन करता है अथवा सत्ता का दुरूपयोग करता है। रिश्वतखोरी, भाई–भतीजावाद, पक्षपात, गबन, शासकीय पदों पर अयोग्यों की नियुक्ति इत्यादि भ्रष्टाचार के विभिन्न स्वरूप हैं। भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप में प्रत्येक काल एवं प्रत्येक समाज में पाया जाता है। भारतीय समाज अब उपभोक्तावादी समाज बन गया है परिणामस्वरूप बाजार, धन एवं पण्यीकरण ने भ्रष्टाचार की दिशा व दशा को पक्का बना दिया है। आज भ्रष्टाचार हमारे देश की हवा में घुल–मिल चुका हैं।

किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार सदैव कायम रहा है कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार

के 40 प्रकारों का उल्लेख किया है, कौटिल्य के शब्दों में ''जिस प्रकार जीभ पर रखे हुए शहद का स्वाद न लेना असम्भव है, उसी प्रकार किसी शासकीय अधिकारी के लिए राज्य के राजस्व के एक अंश का भक्षण न करना असम्भव है'' भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है 'भ्रष्ट' अथवा 'बिगड़ा हुआ आचरण'। अतः ऐसा आचरण जिसकी आशा लोकसेवकों एवं जनसेवकों से नहीं की जाती है, यदि लोक प्रशासक अपनी शक्ति, सत्ता एवं स्थिति का प्रयोग जन सामान्य के लाभों की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए करने लगे, तो यही 'भ्रष्ट अचारण' माना जाएगा। ये भ्रष्ट आचरण अनेक प्रकार के हो सकते है जैसे–किसी व्यक्ति का कोई कार्य कर देने या कार्य न करने पर घूस अथवा किसी प्रकार का आर्थिक लाभ लेना, अपने सम्बन्धियों को रोजगार दिलाना, भेंट स्वीकार करना, बेईमानी, गबन, रिश्वत, अनुचित एवं अवैध रीतियों से पैसा लेना, अपनी सरकारी स्थिति और प्रभाव का स्वार्थ–सिद्धि के लिए दुरूपयोग करना आदि।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 में भ्रष्टाचार को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि ''जो व्यक्ति शासकीय कर्मचारी होते हुए या होने की आशा में अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए विधिक पारिश्रमिक से अधिक कोई घूस लेता है या स्वीकार करता है अथवा लेने के लिए तैयार हो जाता है या लेने का प्रयत्न करता है या किसी कार्य को करने के लिए उपहारस्वरूप या अपने शासकीय कार्य को करने में किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात या उपेक्षा या किसी व्यक्ति की कोई सेवा या कुसेवा का प्रयास, केन्द्रीय या अन्य राज्य सरकार या संसद या विधानमण्डल या किसी लोक सेवक के संदर्भ में करता है, तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास का दण्ड या अर्थ दण्ड या दोनों दिए जा सकेंगे।

भारत में भ्रष्टाचार :– ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी कोई नई अवधारणा नहीं है। सदियों पूर्व हिन्दू विधि के प्रवर्तक महर्षि मनु ने 'मनु संहिता' में तत्कालीन समाज में व्याप्त घूसखोरी का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है। अन्य अनेक ग्रन्थों तथा यात्रा वृतान्तों में भी भ्रष्टाचार का उल्लेख देखा जा सकता है।

आचार्य कौटिल्य (चाणक्य, 350–275 ई.पू.) ने 'अर्थशास्त्र' में लिखा है कि ''जिस प्रकार तालाब में तैरती मछली कब पानी गटक जाती है कोई देख नहीं सकता, उसी प्रकार नौकरशाही में अधिकारी वर्ग कब भ्रष्ट आचरण करे यह पता लगाना मुश्किल है।''

भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें अत्यन्त गहरी हो चुकी हैं। मर्यादाएं धीरे–धीरे नष्ट हो रही हैं। नैतिक मूल्यों के पतन के कारण सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार दीमक की तरह व्याप्त होकर व्यवस्था को खोखला किए जा रहा है।

भारत में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार प्रत्येक क्षेत्र–सामाजिक, वैधानिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। भ्रष्टाचार सभी प्रकार के अपराधों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है।

भारत में चंद नेता, खास अफसर, लामबन्द व्यापारी, उद्योगपति, बदनाम गुण्डे, तथाकथित धर्माधिकारी एवं गैर–सरकारी संगठन (नेता, बाबू, लाला, दादा, बाबा, एवं झोला) भ्रष्टाचार के स्तम्भ हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर आजादी के दो दशक बाद तक देश में एक आदर्श एवं दर्शन था, नौकरशाही एवं राजनीतिक नेतृत्व दोनों ईमानदारी को प्रोत्साहन देते थे, जिससे भ्रष्टाचार की प्रक्रिया बढ़ नहीं पाती थी, पर 1970 के दशक के बाद इसमें जबर्दस्त बदलाव आया। राजनीतिक नेतृत्व एवं पार्टी की राजनीतिक प्रक्रिया में विघटन ओर नवगठन दोनों शुरू हुआ। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद और धर्म का राजनीति से घोल–मेल शुरू हुआ और धीरे–धीरे राजनीतिक नेतृत्व में भी इसका विस्तार होने लगा। राजनीति के नैतिक स्तर एवं आदर्शवादी दबाव में विकार उत्पन्न होता गया। इससे राजनीतिक तत्व ज्यादा भ्रष्ट तरीकों की तरफ बढ़े और एक से ज्यादा मजबूत राजनीतिक दलों के होने, ज्यादातर नेताओं में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ज्यादा तीव्र होने और बार–बार सरकार बदलने से आने वाली राजनीतिक अस्थिरता ने राजनीतिक प्रतिष्ठान को भ्रष्ट बनाया, फिर दूसरे क्षेत्र भी इसकी चपेट में आते गए।

पहले रिश्वतखोरी का आर्थिक पैमाना बहुत बड़ा नहीं था पर राजनीति एवं भ्रष्टाचार के पूंजीकरण के कारण हर क्षेत्र में पैसे का लेन–देन बहुत बढ़ गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन इसे कमाने के लिए साधन एवं साध्य को लेकर जो सामाजिक–नैतिक प्रतिमान थे, नवोदित मध्य वर्ग ने उसे मिटा दिया। आज के 33 करोड़ मध्यवर्गीय भारतीयों के लिए पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, साधन की पवित्रता कोई मायने नहीं रखती। इस तरह का सांस्कृतिक वातावरण बना दिया है कि किसी भी तरह से पैसा कमाना ही बुद्धिमता और सफलता का सूचक है, नैतिक पतन कुछ नहीं होता।

भारत में भ्रष्टाचार मूलतः 1950 के दशक की एक अनहोनी शुरूआत है। 1957 के मूंदड़ा कांड को भारतीय गणतंत्र का पहला घोटाला माना जाता है जिसमें राजनीति और किसी पूंजीपति के बीच अपवित्र गठजोड़ बना था। इसका भंडाफोड़ फिरोज गांधी ने किया था। लम्बी बहस के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री टी.टी. कृष्णमाचारी को इस्तीफा दिलाकर सारा मामला रफा–दफा कर दिया गया। पंडित नेहरू के समय में ऐसे करीब चार मामले प्रकाश में आए। 1949 में 2016 करोड़ रूपए का जीप घोटाला ऐसा पहला मामला था जिसमें ब्रिटेन स्थित तत्कालीन उच्चायुक्त कृष्णा मेनन का नाम उछला था। दूसरा मामला 1956 का सिराजुद्दीन प्रकरण था जिसमें नेहरू मंत्रिमंडल के खान एवं ऊर्जा मंत्री के.डी. मालवीय पर गम्भीर आरोप लगे थे। तीसरा प्रकरण जहाजरानी उद्योगपति धरमतेजा का था जिन्हें 1960 में पंडित नेहरू ने बिना किसी जांच पड़ताल के 20 करोड़ रूपए का ऋण दिलवाया था, इस प्रकार यह सिलसिला बोफोर्स एवं 2जी घोटाले तक चलता गया।

भ्रष्टाचार के कारण

भारत में भ्रष्टाचार के व्यापक प्रसार में निम्न कारणों ने योगदान दिया है :–

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-12* (Part-2) March- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भ्रष्टाचार ब्रिटिश विरासत

ब्रिटिशकालीन भारत में उच्चतम सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार कितने व्यापक रूप में प्रचलित था, यह इस बात से स्पष्ट है कि भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल ने सन् 1945 में अपनी बेटी फेलिसिटि एन0 के विवाह के निमन्त्रण–पत्र प्रमुख धनी भारतीयों तथा 700 छोटी–बड़ी रियासतों के राजाओं को शादी से कई महीने पहले उन वस्तुओं की सूची के साथ भेज दिए थे, जिन्हें वर–वधू उपहार के रूप में लेना पसन्द करेंगे।

युद्धकालीन अभाव तथा नियंत्रण

द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब सेना के लिए सरकार भारी मात्रा में अनाज तथा अन्य सामग्री खरीदने लगी, तो व्यापारी सरकारी माल के ठेके प्राप्त करने के लिए अधिकारियों की जेब गरम करने लगे, युद्धजनित परिस्थितियों के कारण अनाज आदि का नियन्त्रण शुरू किया गया इसके लिए सरकारी दुकानों के लाइसेंस और परमिट दिए जाने लगे, इससे भी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला।

नैतिक मूल्यों का पतन

विकसित जनसमाज में शहरीकरण एवं औद्योगीकरण पर निरन्तर बल दिया गया। जिससे सामाजिक एवं वैयक्तिक मूल्यों का भौतिक मूल्यों के आगे पतन होता है भौतिक आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और जो वस्तुएं पूर्ण विलास की वस्तुएं मानी जाती थीं वे अब जीवन की आवश्यकताएं बनती चली जाती हैं इनकी प्राप्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है ईमानदारी के तरीकों से धन कमाना काफी कठिन होता है। अतः अनैतिक उपायों का सहारा लिया जाता है पहले अनैतिक कार्य करने में व्यक्ति झिझकता था जबकि आज वह प्रसन्नता के साथ अनैतिक तरीके से धन कमाता है।

वेतनों में विषमता

भारत में कर्मचारियों के वेतन में काफी अन्तर है, उच्च वेतनों के फलस्वरूप उच्च अधिकारी आरामदेय जीवन व्यतीत करते है, प्रत्येक अधीनस्थ अपने वरिष्ठ अधिकारी का अनुसरण करना चाहता है तथा वेतन कम होने पर वह अनुचित साधनों से आमदनी बढ़ाना चाहता है।

लालफीताशाही

भारत में सरकारी दफ्तरों में काम करने की प्रक्रिया बड़ी जटिल तथा विलम्बकारी होती है इनमें इतने अधिक नियमों, उपनियमों का जाल फैला हुआ होता है कि कोई भी कार्य शीघ्रता से नहीं हो सकता है लाल फीते से बँधी फाइलों को एक अफसर की मेज से दूसरे अफसर की मेज तक पहुँचने में बड़ा समय लगता है। यह स्थिति रिश्वत और घूस के लिए आधार तैयार करती है और लोग अपने कार्यों को शीघ्र सम्पन्न करवाने के लिए विभिन्न प्रकार से रिश्वत देते हैं। ऐसी राशि को संथानम् समिति ने 'शीघ्र काम कराने वाला धन' कहा है इस प्रकार की रिश्वतखोरी ऐसे विभागों में अधिक पाई जाती है, जहाँ सरकार के साथ नागरिकों का अधिक सम्पर्क होता है।

विलासितापूर्ण जीवन

भारत में पश्चिमी देशों के देखा–देखी में नागरिक भोग विलासिता का जीवनयापन करना चाहता है वह बिना कठोर परिश्रम किए आरामदायक जीवनयापन करना चाहता है इन सब आवश्यकताओं के लिए उसे गलत माध्यम से धन संग्रह करना पड़ता है, जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।

दुर्बल नियंत्रण प्रणाली

भारत में बनाए गए नियम–कानूनों का लचीलापन एवं नियंत्रण प्रणाली पूर्ण रूप से गैर–जिम्मेदार, अंकुशल और रूग्ण है भारत में प्रशासनिक कार्य बिना कठोर नियंत्रण, निरीक्षण एवं चौकसी के राम भरोसे ही चलते है फलस्वरूप भ्रष्टाचार बेलगाम और अबाध रूप से चल रहा है इसको रोकने के लिए लोकपाल विधेयक जैसा विधेयक कितना असरदार होगा, यह भविष्य ही बताएगा।

निर्वाचन में पार्टी फण्ड

भारत में चुनाव बहुत महँगे होते जा रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों को काले धन की जरूरत पड़ती है चुनावों में धन की बढ़ती हुई भूमिका के कारण काला धन और भ्रष्ट लोगों को राजनीतिज्ञों द्वारा अपने साथ जोड़ा जा रहा है।

औद्योगिक एवं व्यापारी वर्ग

भ्रष्ट करने की योग्यता एवं इच्छा आज के औद्योगिक एवं व्यापारी वर्ग में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है सटोरिए, नए पैसे वाले, तस्करी का धन्धा करने वालों के लिए विभिन्न भ्रष्टाचारी तरीकों से धन अर्जित करना सरल है व्यावसायिक घरानों द्वारा 'सम्पर्क अधिकारियों' एवं सम्बन्ध कायम रखने वाले व्यक्तियों को बड़ी संख्या में नियुक्त किया जाता है ये लोग शासकीय कर्मचारियों को अपने निकृष्ट उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता प्रदान करने के लिए धन या अन्य लाभ देते हैं।

नौकरशाहों का विलासी जीवन

हमारे देश में नीति निर्धारण से लेकर नीति क्रियान्वयन तक का कार्य नौकरशाह ही करते हैं तथा जनप्रतिनिधि नीति निर्धारण की सूक्ष्म एवं जटिल प्रक्रिया से ज्यादा परिचित नहीं होते और नौकरशाहों पर अवलम्बित हो जाते हैं अतः नौकरशाह नेताओं को गुमराह कर भ्रष्ट तरीके से धन कमाने के रास्ते निकाल लेते है इसी धन के आधार पर उन्हें विलासी जीवन शैली की आदत हो जाती है और इसके लिए उन्हें अवैध धन की बार–बार जरूरत पड़ती है और वे भ्रष्टाचार करते हैं।

भ्रष्टाचार के कारणों को आर्थिक, सामाजिक, वैधानिक, न्यायिक और राजनीतिक श्रेणियों में भी रखा जा सकता है। आर्थिक कारणों में उच्च जीवन शैली की आकांक्षा, मुद्रा प्रसार, लाइसेंसिंग प्रणाली तथा ज्यादा लाभ लेने की प्रवृति है। सामाजिक कारणों में जीवन के प्रति भौतिकतावादी दृष्टिकोण, ईमानदारी की कमी, सामाजिक मूल्यों में गिरावट, अशिक्षा, सामंती प्रवृतियां, शोषणवादी सामाजिक सरंचना आदि हैं। वैधानिक कारणों में अपर्याप्त कानून, कानून पालन कराने में ढील आदि हैं। न्यायिक कारणों में महंगी न्याय व्यवस्था, विलम्ब न्याय, न्यायिक उदासीनता, न्यायाधीशों की प्रतिबद्धता की कमी तथा तकनीकी कारणों से अपराधियों का छूट जाना है। राजनीतिक कारणों में राजनीतिक संरक्षण, अप्रभावी राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक तटस्थता, राजनीतिक

अनैतिकता, राजनीति एवं अपराधियों की सांठ–सांठ आदि हैं।

भारत में भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु किये गये प्रयास

भारत में भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर विभिन्न संस्थाओं, समितियों तथा अयोगों का गठन किया जाता रहा है। जिन्होंने भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु सराहनीय प्रयास भी किये है यथा–

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947

इस अधिनियम में भारतीय दंड संहिता में पहले से विद्यमान भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों को न तो पुनः परिभाषित किया गया और न ही इस परिभाषा में कोई विस्तार किया गया। इस प्रकार, इसने भारतीय दंड संहिता में दी गई 'लोक सेवक' की परिभाषा को ही अपनाया है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988

इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति 9 सितंबर 1988 को मिली। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947, दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 और भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंधों को समेकित किया गया है।

भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त की गई गैर–कानूनी संपत्तियों को जब्त करना

यह आवश्यक है कि आपराधिक अभियोजन के अलावा, भ्रष्ट लोक सेवक को उनकी भ्रष्ट की कमाई के स्वामित्व से बेदखल कर दिया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में लोक सेवक की आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक की संपत्तियों को जब्त करने का उपबंध है। फरवरी 2012 में केन्द्र सरकार ने इस संदर्भ में एक सर्कुलर भी जारी किया था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी लोक सेवकों की संपत्ति जब्त की जा सकती है।

इस संबंध में बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2011 में बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 लाया गया। जिसके तहत वह प्रावधान किया गया, कि जांच के दौरान भी संबंधित प्राधिकार की अनुमति से किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति जब्त की जा सकती है और इस आधार पर देश में पहली बार आई.ए.एस अधिकारी की सम्पत्ति जब्त की गई थी। विशेष में भी 'विशेष न्यायालय अधिनियम 2006' बिहार के कानून से एक वर्ष पूर्व लाया गया पर कानूनी अड़चनों के कारण शीघ्र लागू नहीं हो पाया था। विशेष के कानून में भी ट्रायल के दौरान ही भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति जब्ती का प्रावधान है। इस प्रकार राजस्थान में भी राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 लागू किया गया है।

भारत में व्हिसलब्लोअर कानून

व्हिसलब्लोअर यानी भंडाफोड़ कर्ताओं से लिखित में शिकायत प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग को शीर्ष अभिकरण के रूप में प्राधिकृत करने के लिए 21 अप्रैल, 2004 को एक संकल्प जारी किया गया था। अन्य बातों के साथ–साथ इस संकल्प में भंडाफोड़कर्ताओं को उत्पीड़न से संरक्षण देने तथा उनकी पहचान को गुप्त रखने की दृष्टि से कुछ प्रावधान किए गए। नया व्हिसलब्लोअर विधेयक लोकपाल के साथ–साथ संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। 13 मई 2014 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने और लागू होने के बाद व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

भ्रष्टाचार पर संथानम समिति

भ्रष्टाचार का सामना करने के विद्यमान साधनों का पुनरीक्षण करने तथा भ्रष्टाचार निवारक उपायों को अधिक प्रभावशाली बनाने के व्यावहारिक साधनों पर परामर्श देने के लिए जून 1962 में कस्तूरीरंगा संथानम (1895–1980) की अध्यक्षता में संथानम समिति नियुक्त की गई थी। जिसने मार्च 1964 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें ये थीं कि संविधान के अनुच्छेद 311 को इस तरह संशोधित किया जाए जिससे कि भ्रष्टाचार संबंधी न्यायिक प्रक्रिया सरल और त्वरित हो सके। केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर भ्रष्चार का सामना करने के लिए स्वशासी अधिकारों सहित क्रमशः केन्द्रीय तथा राज्य सतर्कता आयोग होने चाहिए।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

संथानम समिति की सिफारिशों के अनुसरण में 1964 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। इसका प्रधान 'केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त' होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के अधीन की जाती है। आयुक्त छह वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु होने तक अपना पद ग्रहण करते है।

लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013

विश्व में सबसे पहले भ्रष्टाचार पर अंकुष लगाने के लिए 1809 में स्वीडन में ओमबुड्समैन नामक संस्था की स्थापना की गई। फिर सन् 1919 में फिनलैंड में, 1955 में डेनमार्क में तथा 1962 में नार्वे में ओमबुड्समैन नामक संस्था की स्थापना की गई।

भारत में पहली बार सन् 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए केन्द्र में लोकपाल व राज्यों में लोकायुक्त की द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। सन् 2002 में जस्टिस एम0एन0 वैंकटचेलैया की अध्यक्षता वाले 'संविधान समीक्षा आयोग' ने तथा सन् 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी अविलम्ब लोकपाल की स्थापना करने की सिफारिश की।

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने 9 मई, 1968 को एक लोकपाल विधेयक चौथी लोकसभा में पेश किया था जो लोकसभा से पारित हो गया, किन्तु राज्यसभा मे पेश किये जाने से पहले ही चौथी लोकसभा भंग हो गई। बाद में सन् 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005 व 2008 में भी लोकपाल बिल संसद में पेश किया गया, किन्तु विभिन्न कारणों से यह मुकाम तक नहीं पहुँच सका।

बाद में 11 वीं बार लाये गये लोकपाल बिल 2011 को लोकसभा में 27 दिसम्बर, 2011 को पारित कर दिया गया, किन्तु राज्यसभा में इस बिल को उस समय प्रवर समिति को सन्दर्भित किया गया, जिसके द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को स्वीकार कर इसे 17 दिसम्बर 2013 को

राज्यसभा में पारित कर दिया गया। तत्पश्चात् प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधनों के साथ इस बिल को 18 दिसम्बर, 2013 को लोकसभा से पुनः पारित किया गया। दोनों सदनों द्वारा पारित लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात् 16 जनवरी, 2014 से लागू हो गया।

इस विधेयक के अनुसार केन्द्रीय स्तर पर गठित लोकपाल की जाँच के दायरे में प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और केन्द्र सरकार के समूह ए,बी,सी,डी के अधिकारी और कर्मचारी आयेंगे, जबकि राज्यों में लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, विधायक और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल होंगे। भ्रष्ट अधिकारी की सम्पत्ति को अस्थायी तौर पर अटैच करने का अधिकार भी लोकपाल के पास होगा।

प्रस्तुत विधेयक में लोकपाल में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम आठ सदस्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के कोई पूर्व मुख्य न्यायधीश या फिर कोई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति इसका अध्यक्ष होगा। सदस्यों में आधे सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। इसके अतिरिक्त कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं में से होने चाहिए। सांसद एवं विधायक इसके सदस्य नहीं हो सकते। लोकपाल के सदस्यों एवं अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति नहीं होगी तथा कार्यकाल समाप्त होने के बाद पांच वर्ष तक किसी अन्य पद पर कार्य नहीं कर सकेंगे।

लोकपाल के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, जबकि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायधीश या उनकी अनुशंसा पर नामित सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायधीष तथा राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य होंगे।

इसी प्रकार राज्यों में गठित किए जाने वाले लोकायुक्त का भी एक अध्यक्ष होगा, जो राज्य के उच्च न्यायालय का सेवानिवृत मुख्य न्यायधीश या फिर सेवानिवृत न्यायधीश या फिर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। लोकायुक्त में भी अधिकतम आठ सदस्य हो सकते है, जिनमें से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। इसके अलावा कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होने चाहिए।

भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ

भारत ने मई, 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के साथ भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय की पुष्टि हेतु लेख–पत्र जमा किया था। इससे अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक ऐसे देश के रूप में छवि सुधारेगी, जो भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने हेतु प्रतिबद्ध है। केन्द्रीय कार्मिक सचिव ने अक्टूबर, 2011 को मारकेश, मोरक्को साम्राज्य में आयोजित यू.एन.सी.ए.सी. की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। उपर्युक्त अभिसमय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को पारित किया था तथा यह 14 दिसंबर 2005 को लागू हो गया था।

राजस्थान में भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए नए कानून

राजस्थान गारंटी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 (14 नवम्बर 2011 से लागू) राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012 (1 अगस्त 2012 से लागू), राजस्थान स्पेषल कोर्ट्स एक्ट 2012 (13 दिसम्बर 2012 से लागू) एवं राजस्थान ट्रांस्पेरेन्सी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 2012 (26 जनवरी 2013 से लागू) आदि कानून राजस्थान में भ्रष्टाचार नियंत्रण में सकारात्मक भूमिका निभा रहे है।

भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम, 2018

भ्रष्टाचार के मामलों में केन्द्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के उद्देश्य से 1988 के 'भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम' के प्रावधानों में अनेक संशोधन करते हुए एक नया 'भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम', 2018 राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात् 26 जुलाई , 2018 को लागू कर दिया गया है।

उपरोक्त नए कानून में रिश्वत लेने वालों के साथ–साथ रिश्वत देने वालों को भी कानून के दायरे में लाया गया है तथा रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया व्यक्ति यदि सात दिन के भीतर ऐसे मामले की षिकायत सम्बन्धित अधिकारी से नहीं करता है तो उसके लिए सात वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान नए कानून में किया गया है भ्रष्टाचार सम्बंधी मामलों के निपटान के लिए समय सीमा का निर्धारण भी संशोधित कानून में किया गया है।

प्रमुख सुझाव

उपरोक्त अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किये गये प्रयास कितने सफल हो पाये है तथा इसकी सफलता के मार्ग में क्या–क्या रूकावटें आ रही है, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है ताकि प्रशासन से भ्रष्टाचार समाप्त हो सके। यद्यपि अब तक भ्रष्टाचार रोकने हेतु किये गये सरकारी एवं गैर–सरकारी प्रयास सराहनीय है। किन्तु भ्रष्टाचार का पूर्ण उन्मूलन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए शोधकर्ता ने भ्रष्टाचार के पूर्ण उन्मूलन हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत किये है यथा –

1. भ्रष्टाचार के अर्थ, कारण, प्रकारों , दुष्प्रभावों तथा इसे रोकने के उपायों को विद्यालयी एवं महाविद्यालयी पाठ्यक्रमों में शामिल करना चाहिए, ताकि लोग जागरूक हो सके।
2. संचार साधनों के माध्यम से भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार को भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों का व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए।
3. जनता को ईमानदार, चरित्रवान, निष्ठावान, स्वच्छ छवि वाले सेवाभावी उम्मीदवारों को ही मत देकर विजयी बनाया जाना चाहिए।
4. केन्द्र सरकार के मंत्रियों तथा राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को प्राप्त सभी प्रकार की विवेकाधीन शक्तियों को समाप्त करना चाहिए।
5. बड़े राजनीतिज्ञों तथा अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट–ट्रैक न्यायालयों की स्थापना करनी चाहिए तथा ऐसे मामलों को त्वरित निपटाना चाहिए।

6. सभी चुनाव सरकारी खर्चे पर करवाने चाहिए, ताकि चुनावों में धनबल के दुरूपयोग को रोका जा सके।
7. सरकारी खरीद में पूर्ण पारदर्शिता लानी चाहिए।
8. सार्वजानिक सम्पत्तियों को पट्टे पर देने नीलामी करने में सार्वजनिक हितों को ही एकमात्र कसौटी मानना चाहिए।
9. भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने वालो को संरक्षण प्रदान करना चाहिए।
10. प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकना चाहिए, इस हेतु एक तबादला नीति बननी चाहिए।

निष्कर्ष

सच्चरित्रता की समस्या पर विचार के लिए प्रतिवर्ष मुख्य सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों के सतर्कता आयुक्तों का एक वार्षिक सम्मेलन होता है इससे केन्द्रीय एवं राज्य–स्तरों पर शासन के भ्रष्टाचार निवारक कार्यो के प्रचार एवं प्रसार का अवसर प्राप्त होता है, किन्तु खेद है कि सतर्कता आयोग खोखले से हैं भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है यह इतना व्यापक हो गया है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि आज भ्रष्टाचारियों का जमाना है, वही फल–फूल रहे हैं, लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक राजनीतिज्ञ, मंत्री व नेता राष्ट्रपिता तथा लोकनायक के विचारों की अवहेलना करते रहेंगें।

भारतवर्ष के विकास में भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है सात दशकों से भी इस पर अंकुश नहीं लग पाया है अब देखना है कि जन लोकपाल या अन्य कोई भ्रष्टाचार निवारक इकाई, भ्रष्टाचार पर कितना अंकुश लगा पाती है या हमेशा ही की तरह ही विभिन्न सरकारें भ्रष्टाचार पर राजनीति कर अपना स्वार्थ सिद्ध करती हैं?

आज राष्ट्र की नैतिकता का क्षय हो चुका है। विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी उपभोक्ता संस्कृति ने मानवता का भक्षण कर लिया है। राष्ट्र को मजबूत और समृद्धशाली बनाना है तो हमें उन मूल्यों को अंगीकार करना होगा जो हमारी अविनाशी विरासत की जीवन शक्ति हैं। राजनीति में यदि आप सत्ता में हैं तो कम से कम ईमानदारी से तो काम कीजिए और अधिक से अधिक उद्योग धंधे लगवाकर लोगों के लिए रोजी–रोटी का इंतजाम कीजिए। बेरोजगारी मिटेगी तो भ्रष्टाचार निश्चित रूप से कम होगा। दरअसल भ्रष्टाचार आर्थिक कम मनोवैज्ञानिक अधिक है। हमें लोगों के दिमाग से भ्रष्टाचार का भूत भगाना होगा। भ्रष्टाचार की जड़े चूंकि समाज में निहित है अतः भ्रष्टाचार का निदान भी समाजिक, सामूहिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में ही संभव है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

विज,जे.आर., क्राइम एण्ड कॉपरेशन इन इण्डिया, ज्ञान बुक्स, दिल्ली, 2005
कुमार, सी.राज, कॉपरेशन एण्ड ह्यूमैन राइट्स इन इण्डिया, ओ.यू.पी. दिल्ली, 2011.
लेले, चित्रा जी, कॉपरेशन इन इण्डिया : कॉलेज, इफैक्ट्स एण्ड रिफॉर्मस, अटलांटिक पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि., दिल्ली, 2015
मलिक, अनंग पाल, कॉपरेशन इन इण्डिया, लॉकसले हाल पब्लिसिंग एल.एल.पी., नोएडा, 2016.
विट्ठल, एन. भ्रष्टाचार का अंत, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2016.
तोमर, सदाचारी सिंह, भ्रष्टाचार का बोलबाला, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2016.
राव, एन.भास्कर, सुशासन : भ्रष्टाचार मुक्त लोक सेवाओं का प्रदाता, सागे पब्लिशिंग इण्डिया, दिल्ली, 2016.
राम, एन. व्हाई स्केम्स आर हेअर टू स्टे, अलेफ बुक कम्पनी, नई दिल्ली, 2017
बेदी, किरण, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, कॉपरेशन प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2018
वर्मा, अरविंद, शर्मा, रमेश – कॉम्बेटिंग इन इण्डिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2019